

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना सं. 281/2004

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2004

आयकर

का.आ. 1277(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए, 8.5% वार्षिक ब्याज वाले, प्रतिभूति बकाया राज्य विद्युत बोर्ड की देय धनराशि के लिए दिल्ली सरकार द्वारा दीर्घावधि अग्रिमों में संपरिवर्तित किए जाने वाली 3110.86 करोड़ रुपये (तीन हजार एक सौ दस करोड़ और छियासी लाख रुपये) की धनराशि को विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 178/20/2004-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव